

Satna - नगर पालिक निगम

Payment Receipt

Receipt Number : RCPT/SAT/0397/105/2023 Receipt Date : 06-Apr-2023

File Number : REW/SAT/SAT/0397/048/2023

Sanction Number : PMT/SAT/0397/184/2023

Zone / Ward : Zone-1 / 30

Plot No : 80/K/3

Owner Name : Shri/Smt: MR GAURI CHARAN DUBEY , S/O MR BHAGWAN DAS DUBEY ,

Owner Address : SATNA

Plot Area (SQ.M) : 4881.530

Builtup Area (SQ.M) : 1539.100

Max. Permissible FAR : 1.250

This receipt confirms the payment of fee by the owner with the details below for the file number mentioned above.

Sl.No	Fee Name	Amount
1	Karmkar Fees	100921.00
2	Water Harvesting Charges	0.00
3	Boundary Wall Permission Fee	0.00
4	Revalidation Fee	1.00
5	Development fees	0.00
6	Compounding Fees	50000.00
7	PermissionFee	20000.00
8	ApplicationFee	1539.00
9	ApplicationFee	1.00

Amount in Words : ONE LAKHS SEVENTY TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND SIXTY TWO ONLY

(उक्त प्रशमन शुल्क की गणना राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार 28 फरवरी 2022 तक देय 20% की छूट के साथ की गयी है।)

1. प्रशमन हेतु दिये आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सारवान् तथ्य के दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों अथवा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अथवा मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 389 दिनांक 20 सितम्बर 2016 का प्रेरण नहीं किया गया हो तो उपरोक्त प्रशमन निरस्त माना जायेगा। ऐसे परिदृश्य में सरकार के पास, आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक / विधिक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार है।
2. प्रशमन हेतु दिये आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यदि किसी अन्यविभाग से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो तो वांछित अनुमति प्राप्त करने की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
4. भूमि विकास नियम क्रमांक 12 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः पालिका से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
5. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह प्रशमन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

Note: It is system generated receipt, does not require any signature